मुझे मत मारो! मैं डायन नहीं हूं

विशेष संवाददाता

अठारहवीं शताब्दी के भारत में अनेक कुप्रथाओं के ज़रिए औरतों की खुले आम हत्या की जाती थी। उनमें सती के नाम पर औरत को जला देना और डायन कह कर पीट-पीट कर मार देना खास थीं। आज जब देश के किसी कोने में इक्का-दुक्का सती की घटना घटती है तो सारे देश में हलचल मच जाती है। रूप कुंअर हत्याकांड इसी तरह की घटना थी। लेकिन यदि यह कहा जाए कि देश के एक बहुत बड़े राज्य में आज भी डायन के नाम पर सैंकड़ों-हज़ारों औरतों को खुले आम मारा जा रहा है, तो क्या यकीन होगा?

बिहार के पुरुषो, शर्म करो

बिहार के आदिवासी क्षेत्रों सिंहभूम, जमशेदपुर, धनबाद, हज़ारीबाग व झारखंड क्षेत्र में हर वर्ष लगभग सौ औरतें डायन करार दे कर मार दी जाती हैं। अनेक को मारपीट कर बेइज्जत कर के गांव से निकाल दिया जाता है। उनकी जमीन, जायदाद, झोंपड़ी, घर हड़प लिए जाते हैं। यह सब हो रहा है संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र में। जहां जनता की चुनी हुई सरकार है। पुलिस और कानून व्यवस्था है। जिस देश का संविधान कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ़ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के शासनतंत्र के मुंह पर यह करारा तमाचा है।

क्या कसूर था इनका?

यहां आमतौर पर जिस औरत से कोई दुश्मनी हो या उसकी ज़मीन हड़पनी हो या फिर वह विधवा हो तो आस-पास होने वाली किसी भी मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। पंचायत बैठ कर उसे डायन करार देती है। गांववाले उसे पीट-पीट कर मार देते हैं, जला देते हैं या पत्थर मार-मार कर गांव से बाहर भगा देते हैं।

— हजारीबाग के बरही गांव में नान्हू यादव रहता था। उसकी पड़ौसन थी सोहबा। नान्हू का चौदह साल का लड़का मिर्गी का मरीज़ था। एक दिन वह मर गया। नान्हू ने सोहबा पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया। आज सोहबा को उसके घर व गांव से निकाल दिया है। उसके पति और दो बच्चों की आंखों में तेजाब डाल दिया। वह बेचारी न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री तक के पास गई लेकिन ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले स्वार्थी नेताओं के कान में एक गरीब औरत की पुकार कहां पहुंचती है।

— कजरी का पति बीमार था। वह मर गया। कुछ समय बाद उसका एक देवर भी मर गया। ससुराल वालों ने कहा "कजरी डायन है, उसने दोनों को खा लिया।" जानकारों का कहना है कि यह सब कजरी के हिस्से की ज़मीन हड़पने की साजिश थी। आदिवासियों में अविवाहित, विवाहित या विधवा औरत का भी जायदाद में बराबर का हिस्सा होता है।

बदकी का पति शहर में नौकरी करता था। बदकी गांव में ससुराल वालों के साथ रहती थी। उसका देवर बीमार पड़ा। ओझा ने आकर झाड़-फूंक की। कुछ समय बाद देवर मर गया। ओझा ने अपनी जान बचाने के लिए बदकी को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। बदकी के पढ़े-लिखे पति को ओझा की बात का विश्वास नहीं था। लेकिन वह भी गांववालों का विरोध नहीं कर सका। आखिर उन सबको जमीन व गांव छोड़ देना पड़ा।

अब तो जागो

यह पूरे समाज पर एक कलंक है कि खुलेआम लोग औरतों पर जघन्य अत्याचार कर रहे हैं और प्रदेश की सरकार, पुलिस, सामाजिक संस्थाएं, पढ़े-लिखे लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे।

बिहार की सामंती परंपरा के तहत औरत का दर्जा वैसे भी जूती के बराबर ही रहा है। आज सामंतवाद खत्म हो जाने पर भी लोगों के दिमाग नहीं बदल पाए हैं। कुछ महिला संस्थाएं इस समस्या के प्रति जागरूक हैं। अपने स्थानीय स्तर पर वे ऐसी औरतों को बचाने की कोशिश भी करती हैं। कई बार इस तरह की घटनाओं के पीछे औरतों का यौन शोषण भी मुख्य कारण होता है।

अंधविश्वास का बहाना बना कर गांव के मर्द और पंचायत की मिलीभगत से औरतों को नारकीय यातना दी जाती है। आमतौर पर ये मर्द वे लोग होते हैं जिनका गांव में दबदबा होता है। ये लोग या तो औरत का शारीरिक इस्तेमाल नहीं कर पाए या उसकी ज़मीन पर इनकी नज़र होती है।

सिर्फ़ शर्म से सिर झुकाने से काम नहीं चलेगा। हर जागरूक स्त्री और पुरुष को राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। □